संख्या-301/2018/202/22-2-2018-17(52)/1999

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2018**

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली सिद्धदोष बन्दी हनीफ उर्फ मो0 हनीफ पुत्र श्री शकूर, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-3000/प्रोबेशन-3/फार्म-ए/(एम-17.11.2016) दिनांक 24.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली सिद्धदोष बन्दी हनीफ उर्फ मो0 हनीफ पुत्र श्री शकूर, जो रसूलपुर, थाना-स्वार, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी ने शकूर के पुत्र द्वारा हाजी अब्दुल के घर में ईट के टुकडे फेंके जाने को लेकर हुए विवाद में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 14.11.1978 को सायं लगभग 08:00 बजे चाकू से वार किया, जिससे घायल होकर अब्दुल खलीक की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-75/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर के आदेश दिनांक 13.11.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.1997 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 18 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हनीफ उर्फ मो0 हनीफ (बन्दी संख्या-47483) पुत्र श्री शकूर, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-301/2018/202(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-301/2018/202@22-2-2018-17(52)/1999
दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली सिद्धदोष बन्दी हनीफ उर्फ मो0 हनीफ पुत्र श्री शकूर, जो रसूलपुर, थाना-स्वार, जनपद-रामपुर का रहने वाला है। बन्दी ने शकूर के पुत्र द्वारा हाजी अब्दुल के घर में ईट के टुकडे फेंके जाने को लेकर हुए विवाद में 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 14.11.1978 को सायं लगभग 08:00 बजे चाकू से वार किया, जिससे घायल होकर अब्दुल खलीक की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-75/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर के आदेश दिनांक 13.11.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.08.1997 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2016 तक 18 वर्ष 07 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर पर पया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।